छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग की टीप–
प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से शैक्षणिक सेवा की आपूर्ति के संबंध मे प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्नः– शिक्षक सेवा के संबंध में आऊट सोर्सिंग क्या है।

उत्तरः– अनुबंध के अंतर्गत निश्चित सेवा को एक अशासकीय सेवा प्रदायकर्ता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित प्रतिफल पर प्रदाय करना। आऊट सोर्सिंग का अर्थ पद पूर्ति नही है, अपितु एक अल्पकालिन व्यवस्था के तहत निश्चित सेवा का प्रदाय करना है।

प्रश्नः– शिक्षा विभाग में आऊट सोर्सिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी।

उत्तरः– प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में विगत कई वर्षो से शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विशेषकर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान) एवं वाणिज्य के पदों की निरंतर रिक्तता के कारण विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 वीं से 12 वीं के बच्चों का शिक्षण प्रभावित हुआ है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। इन क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निरंतर मांग की जा रहीं है। दूरस्थ एवं वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में नियमित पदों पर पदोन्नति प्राप्त होने के उपरांत भी शिक्षकों के द्वारा पदों पर कार्यभार ग्रहण न करने से शिक्षकीय पद पर रिक्तता बनी रहती है। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए छात्राओं के अध्ययन–अध्यापन में बाधा उत्पन्न न हो एवं शिक्षकीय सुविधा उपलब्ध रहे इस हेतु आऊट सोर्सिंग की आवश्यकता पड़ी है।

प्रश्न :– विभाग द्वारा नियमित रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु क्या प्रयास किया गया।

उत्तरः— उपरोक्त विषयों के पदों की पूर्ति के संबंध में जिला पंचायत एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा अनेक बार प्रयास किये जाने पर भी उपयुक्त संख्या में शिक्षक प्राप्त नहीं हुए। कतिपय शिक्षक चयन उपरांत भी राज्य के दूरस्थ एवं प्रभावित क्षेत्रों में नियुक्ति होने के बावजूद पदभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं हुए , कुछ ने उच्च पदों पर नियुक्ति प्राप्त होने के कारण कार्य को छोड़कर अन्यत्र चले गए। प्रदेश के बस्तर एवं सरगुजा संभाग के क्षेत्रों में यह समस्या राज्य के अन्य मैदानी क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हैं। उक्त समस्या को देखते हुए शिक्षकीय सेवा प्राप्त करने हेतु आऊट सोर्सिंग किया जा रहा है।

प्रश्न :— राज्य सरकार का क्या दायित्व है एवं इस व्यवस्था की अवधि क्या होगी।

उत्तरः— राज्य सरकार का यह दायित्व है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इन विषयों पर शैक्षणिक सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करें। अतः राज्य सरकार ने पूर्णतः अस्थायी उपाय के तौर पर एवं सीमित समय के लिए, विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के कुल 12 जिले, जहां पर पदों की रिक्तता लंबे समय से बनी आ रही है, उन्हें आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

प्रश्न :— राज्य सरकार पदों की पूर्ति हेतु स्थापित भर्ती प्रक्रिया के तहत प्रयास करेगा।

उत्तरः— राज्य शासन इन दोनों संभागों के अंतर्गत लगभग दो हजार से अधिक विषयवार रिक्त पदों पर शैक्षणिक सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रही है, पुनः स्पष्ट किया जाता है यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। राज्य शासन इन रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति का प्रयास भी जारी

रखेगा, एवं जैसे ही इन पदों की पूर्ति निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पूर्ण होगी उन भरे हुए पदों के लिए आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी।

प्रश्न :– आऊट सोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त होने वाले शैक्षणिक सेवा गुणवत्तायुक्त होगी।

उत्तरः– आउटसोर्सिंग के माध्यम से शैक्षणिक सेवा प्रदाय करने वाले व्यक्तियों/फर्मो के लिए भारत सरकार अथवा एन.सी.टी.ई. (नेशनल काउसिंल फॉर टीचर एजुकेशन) द्वारा निर्धारित मापदण्ड (शिक्षक हेतु निम्नतम अर्हता एवं योग्यता) में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी। प्रदेश के ऐसे क्षेत्रों के बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की व्यवस्था का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है।

प्रश्न :– आऊट सोर्सिंग के संबंध में क्या कोई भ्रांति या विवाद है।

उत्तरः– कतिपय लोग इस व्यवस्था के संबंध में गलत फहमी एवं भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहें है, परन्तु यह व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा दूरस्थ एवं प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं एवं उनके शैक्षणिक हितों के संबर्धन हेतु अपने दायित्व की पूर्ति करने का एक नवीन प्रयास है। अतः भ्रांतियों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।